राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2347/2022

अरविन्द कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कानून एवं कानूनी मामले विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.07.2022

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री निखिल कुमार जैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 33,258/– पर विचार कर भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रशासक वादकरण अधिकारी के पद से कार्यालय राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से दिनांक 30.09.2018 को सेवानिवृत्त हुआ है और अपीलार्थी द्वारा सेवानिवृत्त पश्चात् यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 33,258/– का भुगतान विभाग द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 29.04.2019 को ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनकी मूल प्रतियां भी प्रस्तुत की गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक

तक उक्त बिल राशि का अपीलार्थी को भुगतान नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 10.06.2022 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 33,258/– पर विचार कर भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार यात्रा भत्ता बिल को ऑनलाईन विभाग को प्रेषित करना था, परंतु नियमों का पालन नहीं करते हुए उक्त बिल ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रेषित नहीं किए, जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा अपीलार्थी को बार–बार सूचित किया जाता रहा, परंतु अपीलार्थी ने नजरअंदाज किया, जिसका दोषी अपीलार्थी स्वयं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रशासक वादकरण अधिकारी के पद से कार्यालय राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से दिनांक 30.09.2018 को सेवानिवृत्त हुआ है और अपीलार्थी द्वारा सेवानिवृत्त पश्चात् यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 33,258/– का भुगतान विभाग द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 29.04.2019 को ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनकी मूल प्रतियां भी प्रस्तुत की गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक उक्त बिल राशि का अपीलार्थी को भुगतान नहीं किया गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त बिल राशि का भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा सेवा के दौरान टी.ए. बिल प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए, परंतु अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति के लगभग 6 माह पश्चात् टी.ए. बिल ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत किए, जिसकी मूल प्रति भी विभाग को भेजी गई, जिसके उपरांत भी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त बिल राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए टी.ए. बिल की सही जांच कर नियमानुसार टी.ए. बिल राशि का भुगतान इस आदेश के जारी होने की तिथी से दो माह में किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य